

LAY OUT PLAN FOR CONSTRUCTION OF RO^P MAI KI MADHI'S BUILDING AT TAKHAN(6A) TAKHOLI

१८

१. प्रस्तुति भूमि की सीमा -	
२. देखभाल भूमि पिलका विभाग द्वारा सिर्फ़ उपरोक्त के लिए उपयोग नहीं किया जाना है।	
३. देखभाल भूमि जो मिशनाइज़र उपयोग की जाती है।	
४. प्रस्तुति सिर्फ़ उपरोक्त के लिए दिवित भूमि	

10

पुस्तक अधिकारी
पुस्तक अधिकारी





ई. मेल :- dforudraprayag@gmail.com

फोन / फैक्स नं :- 01364 - 233505::

पता :- नाई की नदी निकट जगदी बाईपास रुद्रप्रयाग

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग।

पत्रांक 1926 / 12-1(2)

दिनांक 12. /03 /2015::

सेवा में,

वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त उत्तराखण्ड,
पौड़ी।

विषय :-

जनपद रुद्रप्रयाग के स्थान जखोली में रिपोर्टिंग चौकी के भवन निर्माण हेतु 0.260 है० वनभूमि का हस्तान्तरण के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक वनभूमि हस्तान्तरण प्रकरण में प्रभावित होने का Girth class VS dia class entry की सूचना निम्न प्रकार प्रेषित है।

प्रजाति	वैज्ञानिक नाम	(31-60)	(61-90)	(91-120)	(121-150)	(150)	योग
चीड़	pinus roxburghii	1	3	6	6	16	32
मेहल	pyrus pashia buch-Ham.	1	2	0	1	0	4
काफल	Myrica esculenta	4	0	0	0	0	4
बांज	Quarcus Lecotrichophora	0	0	1	0	0	1
लोद	Symplocos paniculata (Thunb) miq	0	1	0	0	0	1

नोट :- (0-10) सेमी० के 2 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं।

०/८

भवदीय,
प्रभागीय वनाधिकारी,
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग।

आज दिनांक 01-09-2015 को राजस्थान वन वेलाइंसरी में दिए गये दस्तावेज़ों
पर्यावरण वन वेलाइंसरी में उपलब्ध वन वेलाइंसरी के लिए दस्तावेज़ों का संग्रह
किया गया। वन वेलाइंसरी के द्वारा जाली का दर 6.00/- प्रति दस्तावेज़ 0.2600/-
उपलब्ध 2640 का वन वेलाइंसरी का संभवता विविधता का वर्णन किया गया।
जिसमें वन वेलाइंसरी के विविध प्रकारों के दस्तावेज़ों की वर्गीकरण दी गयी है।
उपरान्त व्यापक दस्तावेज़ों की विवरण प्रकार वर्णित गयी है।

दस्तावेज़	प्रकारी	वालामुखी
1	मेहरा दरा लड़ा	30-40
2	— " —	20-30
3	— " —	30-40
4	— " —	40-50
5	— " —	0-10
6	— " —	20-30
7	— " —	30-40
8	— " —	40-50
9	— " —	50-60
10	— " —	60-70
11	— " —	50-60
12	— " —	30-40
13	— " —	50-60
14	— " —	60-70
15	— " —	40-50
16	— " —	50-60
17	मेहरा दरा लड़ा	20-30
18	मायला दरा लड़ा	10-20
19	— " —	10-20
20	— " —	0-10
21	मेहरा दरा लड़ा	40-50
22	मायला दरा लड़ा	10-20
23	मायला दरा लड़ा	30-40
24	मायला दरा लड़ा	10-20
25	मेहरा दरा लड़ा	40-50
26	— " —	60-70
27	— " —	60-70
28	— " —	30-40
29	— " —	20-30
30	— " —	10-20
31	मेहरा दरा लड़ा	10-20
32	लोटदरा लड़ा	10-20
33	मेहरा दरा लड़ा	40-50
34	— " —	50-60

क्रमांक	पुस्तक	मासिकी
35	वैदिक वेदान्त	५०-६०
36	— II —	३०-४०
37	— II —	४०-५०
38	— II —	५०-६०
39	— II —	६०-७०
40	— II —	५०-६०
41	— II —	५०-६०
42	— II —	७०-८०
43	— II —	५०-६०
44	भेदभाव राष्ट्री	२०-३०
<hr/>		
<hr/> <u>राखी</u> <hr/>		
1	चौड़ी — ३३	
2	मृगी — ०५	
3	भेदभाव — ०४	
4	लोद — ०१	
5	बैगा — ०१	
<u>कुल योग = ५५ रुपये</u>		

(१)

मालवीय प्रियांका
प्रतिमिति राम
रामानन्द
मालवीय मालवी

(मालवीय प्रियांका)
मालवीय राम
मालवीय मालवी

Attended

प्रियांका का
प्रतिमिति राम

मालवीय प्रियांका
मालवीय राम
मालवीय मालवी

(मालवीय प्रियांका)
मालवीय राम
मालवीय मालवी

दब शत्रुघ्निकारी
ददिण जग्गोली रेज
जटप्रयाग दब प्रभाग

१) वलवन्दी एंड राजत
वन दरोगा
लस्य उन्नपत्ति
दहिणी जग्गोली रेज
जग्गोली रेज

२) गोविन्द देहु
वन उन्नपत्ति
लस्य उन्नपत्ति
दहिणी जग्गोली

परियोजना का नाम:- जनपद रुद्रप्रयाग की रिपोर्टिंग पुलिस चौकी माई की मढ़ी के भवनों के निर्माण हेतु स्थान जखोली तहसील जखोली जनपद रुद्रप्रयाग के जाखणी कोसो 06 अ में रकवा 0.26 है 0 अर्थात् 13 नाली वन भूमि हस्तान्तरण विषयक

प्रस्तावित परियोजना हेतु चिन्हित भूमि के एवज में अन्य भूमि चिन्हित किये जाने के सम्बन्ध में किये गये प्रयासों का विवरण।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत पुलिस चौकी जनपद सृजन के साथ ही वर्ष 1997 में जनपद टिहरी की उप तहसील जखोली के इस जनपद में समाविष्ट होने पर जनपद के पुलिस कार्य क्षेत्रान्तरित हस्तान्तरित हुई है। (प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 15 से 19 पर हस्तान्तरण आदेश संलग्न है) विभागीय स्तर पर आवश्यक कार्यालयों / आवासीय भवनों के निर्माण हेतु पुलिस विभाग की अपनी भूमि उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण पृथक से भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावित किया गया है जबकि भूमि हस्तान्तरण / क्रय / अधिग्रहण के सम्बन्ध में स्वतन्त्र रूप से निविदा / विज्ञप्ति प्रकाशन का अधोहस्ताक्षरी कार्यालय पर कोई प्राविधान नहीं है। विभागीय स्तर पर सभी आवश्यक कार्यालयों / आवासीय भवनों के निर्माण हेतु भूमि का आवंटन / क्रय की नीति / अधिग्रहण पूर्व से ही जिलाधिकारी स्तर से होता रहा है।

उल्लेख करना है कि जनपद टिहरी से हस्तान्तरित प्रश्नगत पुलिस चौकी जनपद सृजन से पूर्व किराये के भवन पर संचालित थी, परियोजना अधिष्ठापन विभाग को देखते हुए वर्ष 2003 ने तत्कालीन पुलिस अधीक्षक रुद्रप्रयाग द्वारा जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग से परियोजना की तब की आवश्यकताओं के अनुरूप भूमि आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में अनुरोध किया गया (पत्र संख्या भ-15/2003 दिनांकित 25-11-2003, 10-12-2003 की छायाप्रति संलग्न), तदक्रम में तत्कालीन जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग ने अपने पत्र संख्या मैमो 26-12 (98-99) दिनांकित 28-02-2004 के द्वारा भूमि चिन्हित की गयी थी (छायाप्रति संलग्न)।

प्रस्तावित भूमि काफी प्रयासों के उपरान्त भी कठिपय कारणों से पुलिस विभाग को हस्तान्तरित नहीं हो पायी है एवं प्रस्ताव भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय मध्य क्षेत्र लखनऊ द्वारा यह कारण अंकित करते हुए वापस कर दिया गया कि “उपरोक्त प्रस्ताव आवासीय भवनों के निर्माण से सम्बन्धित है जिसमें वन भूमि हस्तान्तरण की स्वीकृति केवल कार्यालय भवन के लिये दी जा सकती है, यदि सरकार कार्यालय भवन के लिये

स्वीकृति चाहती हो तो 74 वर्ग मीटर क्षेत्र पर मानचित्र सहित प्रस्ताव प्रस्तुत करे।" (छायाप्रति पत्र संख्या 08बी / यूसी०पी० / 09 / 227 / 2010 / एफ०पी० / 2245 दिनांकित 17-01-2011 संलग्न)।

वर्ष 2011 में शासन द्वारा उक्त पुलिस चौकी को रिऑलिस चौकी में अधिसूचित कर 66 अतिरिक्त राजस्व ग्रामों को सम्बन्धित पुलिस चौकी के कार्य क्षेत्रान्तर्गत हस्तान्तरित किये जाने की अधिसूचना जारी की गयी, इन राजस्व ग्रामों के सम्बन्धित पुलिस चौकी क्षेत्र में समिलित हो जाने के कारण सन्पूर्ण चौकी के कार्य क्षेत्रान्तर्गत कानून एवं शान्ति व्यवस्था तथा आपदा आदि कारणों के दृष्टिगत पुलिस बल की त्वरित उपस्थिति सुनिश्चित किये जाने हेतु चौकी के कार्य क्षेत्र के मध्यस्थ / तहसील मुख्यालय के निकट आम जनहित में चौकी स्थापित किये जाने का निर्णय लिया गया। (कार्यालय के पत्र संख्या अ-15/2003 दिनांकित 13-04-2012 की छायाप्रति संलग्न) एवं तदनुसार जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग से भूमि चिन्हित किये जाने का अनुरोध किया गया (छायाप्रति संलग्न पत्र संख्या अ-15/2003 दिनांकित 19-02-2012 संलग्न)।

उक्त क्रम में जिला प्रशासन द्वारा प्रश्नगत परियोजना एवं तहसील स्तर पर प्रस्तावित अभिनशमन केन्द्र जखोली के निर्माण हेतु स्थान मयाली के ज0वि0र0 ख0स0 4047 के खसरा न0 0.627 हेठो मध्ये रकवा 0.600 हेठो राज्य सरकार की भूमि पुलिस विभाग को हस्तान्तरित किये जाने हेतु चन्हित की गयी एवं शासन के पत्र संख्या 2160/XVIII(II)/2013-18 (60) / 2013 दिनांकित 21-11-2013 (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा भूमि की निःशुल्क हस्तान्तरण की स्वीकृति प्राप्त हुई है, किन्तु प्रश्नगत भूमि की स्वीकृति के उपरान्त उप जिलाधिकारी जखोली द्वारा मौका तस्दीक एवं सीमांकन किये जाने पर पाया गया कि " स्वीकृत भूमि मौके पर अत्यधिक ढलान वाली एवं भूस्खलन युक्त होने के कारण निर्माण हेतु उपयुक्त न होने के कारण राज्य सरकार की अन्य भूमि उपलब्ध न होने के फलस्वरूप वन भूमि हस्तान्तरण का सुझाव दिया गया" (उप जिलाधिकारी जखोली के पत्र संख्या 216/र0का०-2014-15 दिनांकित 02-07-2014 की छायाप्रति संलग्न)।

उक्तांकित स्वीकृत भूमि के मौके पर अपेक्षा के विपरीत होने के फलस्वरूप भूमि की वस्तुस्थिति के सम्बन्ध में जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग को सूचित करते हुए अन्यत्र निःशुल्क राजकीय भूमि हस्तान्तरण का अनुरोध किया गया (पत्र संख्या अ-09/2011 दिनांक 30-06-2014 की छायाप्रति संलग्न)। यहां यह भी उल्लेख करना है कि 13वें वित्त आयोग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष

2011-12 की कार्ययोजना में स्थान गौरीकुण्ड में प्रस्तावित पुलिस चौकी के निर्माण कार्य (स्वीकृत धनराशि 94.45 लाख) को गौरीकुण्ड में आपदा के उपरान्त निर्माण हेतु उपयुक्त परिस्थितियां न होने के कारण स्थान मयाली में पुलिस विभाग की उक्त भूमि पर निर्माण किये जाना प्रस्तावित किया गया एवं शासन द्वारा तदनुसार स्वीकृति भी उपलब्ध करायी गयी किन्तु उक्त स्वीकृत भूमि के विवादास्पद होने तथा विभागीय स्तर पर अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने के कारण स्वीकृत निर्माण प्रारम्भ नहीं किया जा सका है विभाग द्वारा निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि के भूमि की अनुपलब्धता के कारण पुर्नरक्षण होने की सम्भावनाओं को देखते हुए पुनः जिलाधिकारी प्रशासन से स्वीकृत भूमि के एवज में स्थान जखोली एवं मयाली के मध्य भूमि उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया (कार्यालय के पत्र संख्या अ-15/2011 दिनांकित 05-07-2014 की छायाप्रति संलग्न)।

कार्यालय के अनुरोध पर जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग द्वारा भी उपजिलाधिकारी जखोली से स्वीकृत भूमि के एवज में राज्य सरकार की भूमि और इसकी अनुपलब्धता में वन भूमि का प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध कराये जाने के निर्देश निर्गत किये गये। (पत्र संख्या 3910/बीस-56(2013-14) दिनांक 15-07-2014 की छायाप्रति संलग्न)। उक्त क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा उप जिलाधिकारी जखोली से अनुरोध किया गया कि स्वीकृत भूमि के एवज में विभाग को राज्य भूमि अथवा सिविल राज्य भूमि उपलब्ध करायी जाये एवं यदि राज्य भूमि की विषम परिस्थितियों में न्यून उपलब्धता भी न हो तो ऐसी परिस्थितियों में वन भूमि (यथा राष्ट्रीय पार्क व वन्य जीव अभ्यारणों से मुक्त भूमि) चयनित करते हुए प्रस्तावित की जाये (कार्यालय के पत्र संख्या अ-15/2011 दिनांकित 19-07-2014 की छायाप्रति संलग्न) प्रतिउत्तर में प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 29 के अनुसार दर्शाये गये निरस्त किये गये सामरेखण जो विभाग को हस्तान्तरण हेतु घिनिहत किये गये थे को निरस्त करते हुए प्रस्तावित भूमि न्यूनतम / उपयुक्त / अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने के कारण प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित कर स्वीकृति के क्रम में प्रेषित की गयी है।

अतः उक्त सम्बन्ध में अनुरोध है कि परियोजना की महत्ता एवं निर्माण हेतु प्रस्तावित स्थल के क्षेत्रान्तर्गत अन्य कोई वैकल्पिक सिविल / नाप / बेनाप / राज्य सरकार की भूमि उपलब्ध न होने के कारण प्रस्तावित भूमि को पुलिस विभाग के पक्ष में प्रत्यावर्तित करते हुए स्वीकृति निर्गत करने का कष्ट करें।

पुलिस अधीक्षक
रुद्रप्रयाग।

कायलिय पुलिस अधीक्षण, जनपद सुदूरपश्चिम
पत्रों:- म-15/2003 दिनांक: नवम्बर 28/2003

सेवा में,

जिलाधिकारी,
सुदूरपश्चिम।

महोर्य,

कृपया अवगत कराना है कि नवसूचित जनपद-सुदूरपश्चिम
के पुलिस दौकी मार्टिकीमढी, जनपद-सुदूरपश्चिम किराये के गतन पर
बल रही है। जहाँ पर पुलिस कर्मचारियों के आवास तथा पुलिस
दौकी शक्ति का नियमण कराया जाना है जिसके अन्तर्थे भूमि की
नियान्त्रित आवश्यकता है।

अतः आपसे अनुरोध है कि सैलर्न खसरा व नवगो का
इवलोकन कर अपना अनुष्ठोदन इस कायलिय को गेजने को कृपा करें,
ताकि भूमि का सम्पूर्ण नियोजण कराया जा सके।

सैलर्न:- उपरौक्तानुसार

प्रभारी पुलिस अधीक्षण
सुदूरपश्चिम

क्रमांक १९३
दिन १०३

कायालिय कायालिय जिला अधिकारी रुद्रप्रयाग ।
संख्या ३६५/२६-१२/१९८-१९९४ दिनांक २४ फरवरी 2004,
लेखा में,

पुलिस अधीकारी,
रुद्रप्रयाग ।
विषय- पुलिस चौकी माई की मढ़ी के घावन निर्माण हेतु भूमि
चयन के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने कायालिय के पत्र सं०- १५/२००३ वि०-
२५-११-२००३ का सन्दर्भ प्राप्त करने का काम करें, जिसके द्वारा आपने
पुलिस चौकी माई की मढ़ी के घावन निर्माण हेतु भूमि वयन करने हेतु
अनुरोध किया है ।

उपरोक्त के क्रम में आपको अवगत छराना है, कि पुलिस चौकी
माई की मढ़ी के निर्माण हेतु आपके द्वारा प्रस्तावित भूमि के सम्बन्ध
में तहसीलदार रुद्रप्रयाग जाँच करवाई गई है तहसीलदार रुद्रप्रयाग ने पुलिस
चौकी के निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि के शास्त्रात्मक सं०-२८१ के डास्ता
सं०-५६१४, ५६१५ एवं ५६१६ मध्ये कुल रक्वा ०.१०४ हेतु भूमि का चयन
कर संस्थित की गई है ।

इस सम्बन्ध में अवगत छराना है, कि चयनित की गई भूमि
पर वन संरक्षण अधिनियम १९६० के प्राविधिकान लाग होते हैं।

अतः आप वन संरक्षण अधिनियम के प्राविधिकानों के तहत
प्रस्ताव नियमानुसार इस प्रतियोगी में गठित करते हुए, सम्पादी औषधारिकताएं
पूर्ण करने के उपरान्त इस कायालिय को उपलब्ध कराने का काम करें ।
चयनित की गई भूमि के नजदी छासरे की प्रति भी संतुष्टि आपको
प्रेषित ढी जा रही है ।

लंगनक-यथापरि ।

भूमारी अधिकारी,
कृते जिला अधिकारी, रुद्रप्रयाग ।

कार्यालय पुलिस अधीकारी, जनपद सदृश्याम
पत्रांक:- प-15/2003 दिनांक: जून 2004

लेखा मे,

- 1- उप विळाधिकारी, सदृश्याम
- 2- मुख्य विकासाधिकारी, सदृश्याम
- 3- प्रशासनीयकारी विकारी, जेदारनाथ बन्धु बीब प्रभाग
मोरेश्वर [ब्योली]
- 4- बन हेत्वाधिकारी, रेज कार्यालय, सदृश्याम
- 5- प्रतिकार परीक्षक, सदृश्याम
- 6- पट्टी पटवारी-जवाही, तहो- जबौली, सदृश्याम

कृत्या विळाधिकारी, सदृश्याम के पत्रांक:-पेमो/26-12/

99-2000/ दिनांकित 22-4-2004 के द्वारा पुलिस बौद्धी माईक्रोसटी के बन हेतु प्रस्तावित शूष्य के लिए संयुक्त निरीक्षण को तिथि दिनांक-
29-4-2004 नियत को वई बी विसमें आप द्वारा अक्षा अपने प्रतिनिधि
द्वारा शूष्य के संयुक्त निरीक्षण हेतु आपके द्वारा शाम नहीं लिया गया
विस कारण संयुक्त निरीक्षण उक्त तिथि को नहीं किया गया।

अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि आप स्वयं अक्षा अपने
प्रतिनिधि को दिनांक: 8-7-2004 को पुलिस कार्यालय में समय-10
वे अस्थित होना पुनरावृत्त करें, जाकि आपको उपस्थिति में संयुक्त
निरीक्षण कराया जा सके जिससे आपके द्वारा इस कार्यालय को अनापत्ति
प्रभाग-पत्र उपलब्ध कराया जा सके।

भृ 31 अग्र

प्रवारी पुलिस अधीकारी
जनपद-सदृश्याम

प्रतिलिपि:- धानाधक-सदृश्याम को इस आशय से प्रेषित है कि दिनांक:

8-7-2004 को तहसीलदार जबौली, पटवारीजवाड़ी को
अपने साथ इस कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

गोपनीय कायालिय
पुलिस अधीकारी संस्थान
क्रमांक २०८-४०८८
दिनांक १२/२/११

कायालिय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, इन्डिरानगर फोरेस्ट कालोनी, देहरादून।
राज्या १४३ / १जी-२६४७ (रुद्र) : दिनांक: देहरादून: ०५ फरवरी, २०११।

सेवा में,

पुलिस अधीकारी,
जनपद रुद्रप्रयाग।

विषय:—जनपद-रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत पुलिस चौकी माई की मढ़ी के आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु ०.१०४ हेतु वन भूमि के बैर वानिकी कायाँ हेतु पुलिस विमाय को प्रत्यावर्तन।

संदर्भ:—भारत सरकार की पत्र संख्या-४वी/यूसीपी/०९/२२७/२०१०/एफ०री०/२२४५ दिनांक १७-०१-२०११। (प्रति संलग्न)

महोदय,

कृपया भारत सरकार, प्रयावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कायालिय, लखनऊ के उपर्युक्त विषयक सदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा सूचित किया गया है कि उपर्योक्त प्रस्ताव आवासीय भवनों के निर्माण से सम्बन्धित है, जिसमें वन भूमि हस्तान्तरण की स्वीकृति केवल कायालिय भवन के लिये दी जा सकती है। आवासीय भवन के लिये वन भूमि हस्तान्तरण की स्वीकृति रामबब नहीं है। भारत सरकार द्वारा अपने उक्त पत्र के माध्यम से यह भी सूचित किया गया है कि यदि प्रयोगता ऐजेन्सी कायालिय भवन के लिये स्वीकृति वाहती है, तो ७४ वर्ग मीटर क्षेत्र पर मानवित्र सहित एक सशोधित प्रस्ताव प्रेषित किया जाय, जिसमें वन संरक्षण अधिनियम, १९८० के तहत विचार किया जा सकता है।

अतः भारत सरकार के उक्त पत्र वी प्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि भारत सरकार द्वारा वौचित प्रस्ताव पूर्ण सूचनाओं सहित रामबन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के माध्यम से ३ प्रतियों में शाखाशीघ्र इस कायालिय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

संलग्न—यथोपरि।

गवदीय,

(राजेन्द्र कुमार)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

राज्या— / १जी-२६४७ (रुद्र) दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

- जिलाधिकारी, जनपद-रुद्रप्रयाग।
- प्रभागीय वनाधिकारी, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग।

संलग्न—यथोपरि।

(राजेन्द्र कुमार)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

H.C.
Form APLB

SP
RP4

12/02/2011

भारत सरकार,
पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय,
शैक्षीय कार्यालय { मध्य क्षेत्र }

पत्र सं. ४८१/यू.सी.पी./०९/२२७/२०१०/एफ.सी. /२२५

सेवा में

नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक,
भूगोल विवेचन विदेशालय, दन विभाग,
हाइदराबाद नगर फारेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

गोपनीय कार्यालय
पुलिस अधीक्षक रुद्रप्रयाग
कामाक्षी २८०७०७११
दिनांक २७/१/११

पंचम तल, केन्द्रीय भवन,
सेक्वेंटर एवं अलीगंज,
लखनऊ-२२६०२४
डेलीफॉक्स-०५२२-२३२६६९६

विनांक 17.01.2011

विषय: जनपद रुद्रप्रयाग के अन्दरात पुलिस चौकी माई की भवी के आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्णय हेतु ०.१०५-४० वन भूमि का गैर यानिकी कार्यों हेतु पुलिस विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ: अतिरिक्त वन महानिवेशक, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई विल्ली का पत्रांक- ७-४४/२०१०-आर०ओ०४८०५७०, विनांक 21.12.2010

महोदय

उपरोक्त विषय पर नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक, उत्तराखण्ड का पत्रांक १६५/१४०-२८४७ (लब्र०) विनांक 24.07.2010 का आशय प्रहल करने का कारण यहें, जिसके द्वारा राज्य सरकार ने विषयाविश्वा प्रस्ताव पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा (2) के तहत भारत सरकार वी स्थीकृति मापी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि उपरोक्त प्रस्ताव आवासीय भवनों के निर्णय से संबंधित है जिसमें वन भूमि उत्तराखण्ड की स्थीकृति के बाल नियम वाले वन भूमि उत्तराखण्ड की स्थीकृति संग्रह नहीं है।

अतः यदि राज्य सरकार कार्यालय भवन ले जिए स्थीकृति चाहती है तो ७४ वर्ग मीटर क्षेत्र पर मानचित्र सहित एक संशोधित प्रस्ताव प्रत्युत करें जिसमें वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत विचार किया जा सकता है।

भवदीय,

(वाई० के० सिंह चौहान)
वन संरक्षक(के.)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

१. प्रमुख सचिव, वन, उत्तराखण्ड राज्य, देहरादून।
२. अमानीय वनाधिकारी, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग, उत्तराखण्ड।
३. पुलिस अधीक्षक, जनपद रुद्रप्रयाग, उत्तराखण्ड।
४. आदेश पंचायती।

(वाई० के० सिंह चौहान)
वन संरक्षक(के.)

HC (क्रम)
Tammari 8

SP
RPG
24/1/2011

कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जनपद रुद्रप्रयाग।

पत्रांक: भ-15/2003

दिनांक: फरवरी 14, 2012

रोका में,

जिलाधिकारी

जनपद रुद्रप्रयाग।

कृपया अलगत ज्ञान है कि इस जनपद की पुलिस चौकी नाई की मढ़ी के आवासीय/अनावासीय भवनों निमार्प हेतु स्थान दरमोला के खट्टरा नं. 5614, 5615, 5616 मध्ये कुल 0.104 हेतु सिविल एवं सोषम बन भूमि घिन्डित कर पुलिस विभाग के पश्च में हस्तान्तरण हेतु बन विभाग को प्रस्ताव स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया था।

उक्त भूमि का चयन वर्ष 2008 में मुहिरा चौकी नाई की मढ़ी के क्षेत्र का मध्यस्थ होने कारण किया गया था जूँकि उत्तराखण्ड शासन के आदेश रख्या: 2225(71)/XX-1/11/154/इ.प./2011 दिनांकित: 12.12.2011 के द्वारा उक्त पुलिस चौकी को रिपोर्टिंग पुलिस चौकी नाई अधिसूचित कर 66(छिडासठ) अतिरिक्त राजसव ग्रामों को सम्बन्धित पुलिस चौकी हेतु नाई की अधिसूचना जारी की है तल्लेखनीय है कि पूर्व घिन्डित भूमि इन अतिरिक्त राजसव ग्रामों के सम्बन्धित पुलिस क्षेत्र में समिलित हो जाने के उपरान्त उम्मीद क्षेत्र का मध्यस्थ क्षेत्र नहीं है जबकि पुलिस चौकी/थाने से सम्मुद्री क्षेत्र की लगभग बराबर दूरी होनी आवश्यक प्रतीत होती है जिससे उम्मीद क्षेत्र में जानून एवं शानि वातावरण में कठिनाईयों का सामना न करना पड़े।

आह अनुरोध है कि पुलिस चौकी नाई की मढ़ी के आवासीय/अनावासीय भवनों के निमार्प हेतु स्थान दरमोला के खट्टरा नं. 5614, 5615, 5616 मध्ये कुल 0.104 हेतु घिन्डित सिविल एवं सोषम बन भूमि को निरस्त करते हुये नाई की गढ़ी चौकी के क्षेत्रन्तर्गत मध्य क्षेत्र में पुलिस विभाग को निशुल्क भूमि स्वीकृत घिन्डित कर्यावाही के साथसा गंगा रावण अधिकारी को घिन्डित करने का कष्ट करें।

(दिनेश गंज्याल),
पुलिस अधीक्षक,
रुद्रप्रयाग।

प्रतिलिपि: प्रमाणीय जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग बन प्रभाग, रुद्रप्रयाग को उक्त सम्बन्ध में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2. उपजिलाधिकारी रुद्रप्रयाग/ जखोली को उक्त क्षमा में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. पगारी निरीक्षक, कोतवाली रुद्रप्रयाग को इस शिरकत के साथ कि उक्तानुसार पुलिस चौकी नाई की मढ़ी के आवासीय/अनावासीय पद्धन निमार्प हेतु भूमि चाहन की कार्यवाही करते हुये अग्रिम आख्या उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

द्वारा फैक्स/फोरनेट।

कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जनपद रुद्रप्रयाग।

पत्रांक व दिनांक उक्तानुसार।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सादर भूचनार्थ प्रेषित:-

1. अपर प्रमुख बन सरकारी, एवं नोडल अधिकारी, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, इन्द्रानगर फोरेस्ट कालोनी, देहरादून को उनके पत्र संख्या: 1जी/2647 दिनांकित: 05.02.2011 के क्षमा में।
2. पुलिस उपायानिरीक्षक, प्रो।/मैरिनाइजेशन, उत्तराखण्ड पुलिस मुख्यालय, देहरादून।

(दिनेश गंज्याल)
पुलिस अधीक्षक,
रुद्रप्रयाग।

परियोजना का नाम – रिपोर्टिंग पुलिस चौकी माई की मढ़ी के निर्माण हेतु स्थान
जखोली में जाखणी-6 अ मध्य 0.26 है 0 वन भूमि हस्तान्तरण विषयक।

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि पुलिस विभाग की रिपोर्टिंग पुलिस चौकी माई की मढ़ी के निर्माण हेतु तहसील जखोली (गवाली) रामान्तरगत उपयुक्त/प्रयाप्त राज्य सरकार की भूमि/सिविल वेनाप/नाप भूमि चयन का भरपूर प्रयास किया गया किन्तु उक्त क्षेत्रान्तर कोई प्रयाप्त/उपयुक्त सरकारी/सिविल/वेनाप/नाप भूमि उपलब्ध न होने के कारण प्रस्तावित परियोजना की महत्ता/आवश्यकता को देखते हुये स्थान जखोली के जाखणी-6 अ के मध्य 0.26 है 0 वन भूमि सम्बन्धित विभाग को हस्तान्तरण हेतु चिह्नित की गयी है।


पटवारी
जखोली
1/2 एकड़ीपारा


तहसीलदार^{संभालपुर जिला}
जखोली
कानपुर उपराज्यकारी


उपजिलाधिकारी
जखोली
कानपुर उपराज्यकारी


किलाधिकारी
जनपद हस्तान्तरण।

कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जनपद रुद्रप्रयाग।

पत्रांक: ५-१५/२००३

सेवा में


दिनांक: अप्रैल १३, २०१२

जिलाधिकारी,
जनपद रुद्रप्रयाग।

कृपया इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांकित: 19.02.2012 का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसके द्वारा इस जनपद की पुलिस चौकी माई की मढ़ी के मध्यस्थ क्षेत्रान्तर्गत निशुल्क भूमि उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

अद्वितीय कराना है कि वर्तमान में उक्त पुलिस चौकी भवन/भूमि की अनुपलब्धता के कारण स्थान माई की मढ़ी में किसाये के भवन में स्थापित है यूकि उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या 2225(71)/XX-1/11/154/इंग./2011 दिनांकित: 12.12.2011 के द्वारा उक्त पुलिस चौकी को रिपोर्टिंग पुलिस चौकी में अधिसूचित कर 66(छियासत) अतिरिक्त राजस्व ग्रामों को सम्बन्धित पुलिस चौकी क्षेत्रान्तर्गत हस्तान्तरित किये जाने की अनिसूचना जारी हुई है इन अतिरिक्त राजस्व ग्रामों के सम्बन्धित पुलिस क्षेत्र में सम्मिलित हो जाने के सम्पूर्ण क्षेत्र में कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहता है जबकि पुलिस चौकी/थाने से सम्पूर्ण क्षेत्र की लगभग बराबर दूरी होनी आवश्यक है।

आज दिनांक: 13.04.2012 को संयुक्त रूप से पुलिस चौकी माई की मढ़ी की स्थापना हेतु स्थान मयाली ने स्थित लो०नि०वि० के गेस्ट हाउस के सामने बने भूकम्परोधी कक्षों का पर्यवेक्षण करते हुए उक्त दो कष्ट अस्थाई रूप से पुलिस चौकी की स्थापना हेतु उचित पाये गये एवं यह स्थान सन्पूर्ण माई की मढ़ी पुलिस क्षेत्र का मध्यस्थ क्षेत्र भी है। उल्लेखनीय है कि दिनांक: 28.04.2012 से जनपद में यात्रा सीजन प्रारम्भ हो रहा है एवं अब तक शासन के निर्देशानुरूप भूमि/भवन की अनुपलब्धता के कारण उक्त पुलिस चौकी का संचालन किया जा सके।


 (जिला गुंजाल)
 पुलिस अधीक्षक,
 रुद्रप्रयाग।

प्रेषक,

भारतराजन्द,

सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

रुद्रप्रयाग।

राजस्व अनुभाग-2

विषय:- जनपद रुद्रप्रयाग में रिपोर्टिंग पुलिस चौकी माई की मण्डी एवं प्रस्तावित अग्निशमन केन्द्र, जखोली के भवन निर्माण हेतु कुल 0.600 हैं भूमि गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन को निःशुल्क हस्तान्तरित करने के संबंध में।

महोदय,


उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-3066 / छवीस-10(2012-13) दि-0-13.6.2013 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, ग्राम मयाली, राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र एवं तहसील जखोली, जनपद रुद्रप्रयाग के ज0वि020 खतीनी खाता सं0-35 के खसरा सं0-4047 रकवा 0.627 मध्ये 0.600 हैं बंजर भूमि को वित्त अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-260 / वित्त अनुभाग-3 / 2002 दिनांक 15-02-02 के प्राविधानों के अंधीन तथा गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन की सहमति/अनापत्ति के क्रम में निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अंधीन गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन को निःशुल्क हस्तान्तरित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

- 1- भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्व की इमारत न हो।
- 2- जिस परियोजना के लिए भूमि हस्तान्तरित की जा रही है वह एक अनुमोदित परियोजना हो और उसके लिए शासन से सहमति प्राप्त हो चुकी हो।
- 3- हस्तान्तरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग की जाये तो उसके लिये मूल विभाग से पुनः अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
- 4- यदि भूमि की आवश्यकता न हो या 3 वर्षों तक हस्तान्तरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिए उपयोग में नहीं लायी जाती है तो वह मूल विभाग में स्वतः ही निहित हो जायेगी।
- 5- जिस प्रयोजन हेतु भूमि हस्तान्तरित की जा रही है उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु किसी अन्य व्यक्ति, सरकार, समिति अथवा विभाग आदि को मूल विभाग की सहमति के बिना भूमि हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।
- 6- जिस प्रयोजन हेतु भूमि आवित्ति की जा रही है उसकी पूर्ति के उपरान्त यदि भूमि अवशेष पड़ी रहती है, तो मूल विभाग को उसे दापस लेने का अधिकार होगा।
- 7- प्रश्नगत भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम लागू होने की दशा में भूमि के उपयोग का परिवर्तन गैर वानिकी कार्य हेतु तभी अनुमत्य होगा जब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी।

- 8— प्रश्नगत नॉन जेड०८० भूमि आवंटन के पूर्व जर्मीदारी चिनाश एवं भू-सुधार अधिनियम की धारा—132 के समकक्ष एवं अन्य सुसंगत प्राविधानों का अनुपालन जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
- 9— इस संबंध में सिविल अपील संख्या—1132 / 2011(एस०एल०पी०) / (सी) संख्या—3109 / 2011 श्री जगपाल सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य में मातृ सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं अन्य संगत निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 10— आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तों विन्दु संख्या—1 से 9 में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

कृपया इस संबंध में नियमानुसार अग्रेलर कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में जिला रत्तर से निर्गत आदेश एवं इस शासनादेश की शर्तों के अनुपालन स्थिति से यथा समय शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,


(भावदीय)


सचिव।

पृ०प०संख्या— / समदिनांकित / 2013

प्रतिलिपि निनालिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1— सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 2— आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 3— आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- 4— निदशक, एन०आई०सी०, सविवालम्ब परिसर, देहरादून।
- 5— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,


(संतोष बड़ोनी)
अनुसचिव।

द्वारा फैक्स।
कार्यालय प्रुलिस अधीक्षक, जनपद रुद्रप्रथाग।

पत्रांक: भ-०९/२०११

दिनांक: जून ३०, २०१४

三九

जिलाधिकारी,
संस्थान-लायनगढ़।

दिशा: पुलिस दौकी माई की मध्य (अधारी) के आठाशीय एवं अनावासीय भट्टों के जिम्में हेतु स्थीरूप अभियान लाने के सम्बन्ध में।

गाहोट्या

जहांदर, उपर्युक्त विषयालंगत अवगत कराना है कि रिपोर्टिंग पुलिस बीकी माई ली मट्री(मयाली) एवं प्रस्तावित अभिनशमन केच जखोली के आवासीय एवं अनावासीय भवनों के निशाण हेतु आम गयाली, राजस्व उपलब्धेकांक क्षेत्र एवं तहतील जखोली जनपद लङ्घप्रयाग के जठरीय००गतीनी खाता सं० ३५ के खस्ता सं०-४०४७ खक्का ०.६२७ है० गच्छे कुल .६०० है० बंजर भूमि शासनादेश संख्या: २१६०. XVIII(II)/२०१३-१४(६०)/२०१३ राजस्व अनुभाग-२ दिनांक: २१ वयम्बर २०१३ के द्वारा पुलिस विभाग द्वारा विभाग भूमि शुल्क हस्तालित होकर आपके आदेश संख्या: आर-१५९३/छवीस-१०(२०१२-१३) दिनांकित: २०.१२.२०१३ के विरेशानुसार राजस्व अभियोद्यो में विभाग के पश्च में दखिल-आरिज कर इक्काज की राई है। (छायाप्रति संलग्न)।

उल्लेख करना है कि इस विभाग में 13 वें दिन आयोग के अधिरात्र विशेष वर्ष 2011-12 की कार्ययोजना में स्थान गोरीकुण्ड ने पुलिस चौकी के आवासीय/अवावासीय भवनों का विर्माण कार्य (खींकून मूल्य रूपये 94,45 लाख) खींकून हुआ था, किन्तु विजेत दर्व उत्त सेशन बंगल आदी भाटी आपदा के कारण बदली हुई परिस्थितियों एवं स्थान मत्याली ने पुलिस चौकी की अनुपलब्धता तथा नियुक्त पुलिस बल के आवासीय/अवावासीय स्थानों के अनुपलब्धता एवं उत्तानुसार भवनों के निर्माण हेतु भूमि की उपलब्धता को देखते हुये पुलिस चौकी गोरीकुण्ड का खींकून कार्य स्थान मत्याली में पुलिस लौकी भाई ली भट्टी के निर्माण हेतु परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में पुलिस नुच्छालय/शासन से अनुरोध किया गया था जिस पर शासन द्वारा खींकून कार्य को स्थान मत्याली में पुलिस चौकी भाई ली भट्टी के नाम से किये जाने की सहमति प्रदान की गई है।

उक्त सम्बन्ध में रवीरूपन कार्य की घटर्दादी संख्या उत्तरास्पष्ट प्रेयजल संसाधन विकास एवं विभाग नियम, श्रीनगर ज़दवाल वै अपने इस संलग्न: 947.कार्य-6/10 दिनांक: 03.06.2014 के द्वारा अधिकृत करया है कि दिनांक: 23.05.2014 को उनकी विर्गाणु इकाई के गजदूर खात्र मयाली में पुलिस विभाग की रवीकृत भूमि का मृदा परीक्षण किये जाने हेतु जारी थे तो भूमि को लेकर कुछ ग्रामवासियों द्वारा विवाद उत्पन्न किया गया, जिससे कार्य गैं दाया के साथ-साथ मजदूर कार्य स्थल को छोड़कर चले गये हैं। सम्बन्धित विभाग इकाई द्वारा जिगीण कार्य हेतु विविचित भूमि उपलब्ध कराये जाने वाले अवृत्तेश्वर किया गया है।

इस राम्भव्य में उत्त विद्युओं के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट किया जावा उद्दिष्ट होगा कि सम्बन्धित भूमि का चर्यब विश्वमानुसार सम्बन्धित राजस्य अधिकारियों की सहमति एवं राजस्य अधिलेखों से भिलाक किये जाने के उपरान्त विद्या गया है एवं ग्रामदासियों द्वारा विदाद उत्पन्न किये जाने के कारण सम्बन्धित विर्माण कार्य हेतु विभाग के पास स्थान भवाली लेत्र में अव्यक्त विभागीय भूमि उपलब्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त पुलिस बौकी के निर्माण हेतु अल्यात्र भूमि चयव एवं हस्ताक्षरण की कार्रवाही किये जाने में भी भवीतों का राम्भ लग सकता है जिसके कारण उक्त व्यक्ति विभाग अद्यन्त लिप्तिकृत लक्ष्यों के अनुरूप पूर्ण न होने पर करण विर्माण इकाई को भी कार्य की लायत पुराईकैत कराने की परिरक्षितियां उत्पन्न हो सकती हैं जबकि शासव द्वारा स्पष्ट किया जा वकर है कि उत्तरेत लार्य के लिये भविष्य ते कोई घटराशि पुराईकैत नहीं की जायेगी।

अतः ऐसी परिस्थितियों में अवृशेष है कि पुलिस वौकी भाइ के निर्माण हेतु स्थान मयाली में उपलब्ध जूमि के विवाद को सुलझावे जाने अथवा इसके एकज बैठक मयाली में ही प्रायमिकता के आधार पर अन्य विशुल्क साजकारी भूमि पुलिस विभाग को हस्तान्वित करने का कद करें।

पुलिस अधीक्षक,
लखनऊ।

प्रतिलिपि: पुलिस उपबहागिरीक्षक, ज़मील परिक्षेत्र, उत्तराखण्ड, देहरादून को उक्त सभावन्ध में साइर सचिवार्य प्रेषित।

2. सहायक पुलिस महानिरीक्षक, प्रो०/स००, उत्तराखण्ड पुलिस मुख्यालय, देहरादून को उक्त सभावन्ध में कपथा सचिवार्य प्रेषित।

ग्रेहक,

उपजिलाधिकारी
जखोली।

संवादी,

जिलाधिकारी
लद्धप्रयाग।

संख्या २१६० / २० का ०३-२०१४-१५ दिनांक ०३ जून २०१४

विषय:-

उत्तराखण्ड राज्य पुलिस घोकी मार्डी एवं प्रस्तावित अग्निशमन केन्द्र जखोली भवन निर्माण हेतु कुल ०.६०० हेठले भूमि गृह विभाग उत्तराखण्ड शासन को निशुल्क हस्तान्तरित करने के सम्बन्ध में।

गहोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है, कि शासनादेश संख्या २१६०/ xviii(1) २०१३-१४(८०) २०१३ राजस्व अनुभाग-२ दिनांक २१ नवम्बर २०१३ एवं जिलाधिकारी महोदय लद्धप्रयाग के कार्यालय एवं संख्या १५९३/उच्चीस-१० (२०१२-१३) दिनांक २० दिसम्बर २०१३ के द्वारा ग्राम मधाली के ज० विं राहित खत्तीनी खाता स० ३५ के द्वारा नवम्बर २०१३ का ०.६२७ एवं ०.६०० हेठले भूमि को जिला लद्धप्रयाग में रिपोर्टिंग पुलिस घोकी मार्डी एवं प्रस्तावित अग्नि शमन विभाग को निशुल्क हस्तान्तरण कर भवन निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। लहसीलदार जखोली द्वारा अवगत कराया गया है, कि राजस्व विशेषक त घोकी इंधाजे मधाली द्वारा भौका तस्दीक एवं सीमांकन करने पर पाया कि हस्तान्तरित भूमि भवन निर्माण हेतु उपयुक्त नहीं है, क्योंकि पुलिस घोकी हेतु स्वीकृत भूमि भौके पर आवश्यक ढलान दाली एवं भूमि के नीचे से भूरखलन हो रहा है, जिससे भवन निर्माण किया जाना उपयुक्त नहीं है। पुलिस विभाग द्वारा भी उक्त भूमि के रथान पर अन्य भूमि हरतान्तरण किए जाने का अनुरोध किया गया है, किन्तु जखोली त गयली के आस पास राज्य सरकार की भूमि उपलब्ध नहीं हो पा रही है, किन्तु जखोली त गयली के नध्य वन भूमि उपलब्ध हो सकती है।

अतः उपरोक्त परिस्थितियों के मध्यनजर पुलिस घोकी मधाली एवं अग्निशमन विभाग द्वारा भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही याचक विभाग (पुलिस विभाग) द्वारा किया जाना उचित होगा।

*W
Farr. M*

D
उप जिलाधिकारी
जखोली।

प्रतिशिखा-पुलिस उधानक लद्धप्रयाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
२-लहसीलदार जखोली को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप जिलाधिकारी
जखोली।

*SPAR
21/7/14*

प्रेषण,

पुलिस अधीकार,
जवाहर-हैदरप्रभाग।

सेवा नं.

उपजिलाधिकारी,
जांचोली।

पत्रांक: ३०-१३/२००८

दिनांक: जुलाई ५, २०१४

टिप्पणी: रिपोर्टिंग पुलिस दौड़ी गाँव की मण्डि पर्यावरण अधिनियमक्रम लेब जांचोली के खबर विभाग हेतु भूमि
हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।

राज्यमंत्री: आपका पत्र संख्या: २१६/२०का०-२०१४-१५ दिनांकित: ०२.०७.२०१४

रूपवा उपर्युक्त शब्दांशुत पर्यावरण कार्यक्रम कर्त्ता का कठत करे जिसके द्वारा रिपोर्टिंग पुलिस दौड़ी माझे
की गण्डी एवं प्रस्तावित अधिनियमक्रम के जांचोली के विभाग हेतु स्थान मध्यांतरी में पूर्ण संविधान ०.६०० हेतु भूमि के गैरिक
पर्यावरण हेतु उपयुक्त व तोपे तथा विकल्प के तौर पर राज्य सरकार की अन्य भूमि उपलब्ध न होने के कारण स्थान
जांचोली व जांचाली के नवय एवं अभिनव सम्बन्धित विभाग जांचे के अवधारणा का सुझाव दिया गया है।

उक्त ग्रन्थालय ने उत्तेज करना है कि इस विभाग में १३ में पिछ आलोज के अवधारणे विनीय वर्ष
२०११-१२ की कार्यवोजना ने स्थान दौड़ीकृष्ण में पुलिस दौड़ी के आवासीय/अनावासीय भूमि का विभाग कार्य दौड़ीकृष्ण
मध्य स्थान ९४.४५ लाखों दौड़ीकृष्ण द्वारा था, जिसने विभाग धर्ष उक्त दौड़ीकृष्ण अधीकारी आधी भूमि आपदा के कारण बढ़ती हुई
परिस्थितियों एवं स्थान मध्यांतरी में पुलिस दौड़ी की अवृप्तप्रब्लेम तथा विसुल पुलिस थल के आवासीय/अनावासीय व्यवस्था की
अनुपत्तिकारा एवं उक्तावधार भूमि के विभाग हेतु भूमि की उपलब्धता को देखते हुए पुलिस दौड़ी दौड़ीकृष्ण का स्वीकृत कर्य
धर्ष स्थान मध्यांतरी ने पुलिस दौड़ी माझे की गण्डी के विभाग हेतु परिस्थिति विभाग जांचे के सम्बन्ध में पुलिस ग्रन्थालय/सारांश से
अनुरोध किया था था जिस पर राज्य स्थान दौड़ी दौड़ीकृष्ण वार्ष को स्थान मध्यांतरी में पुलिस दौड़ी माझे की गण्डी के नाम से किये
जाने की अनुमति प्रदान करने हेतु अपदे ९४.४५ ताजा विभाग दौड़ी उल्लंघण प्रयोगल संसद्वन विभाग एवं विभाग विभाग
के एक ने स्वीकृति देखते ही जा चुकी है।

जिसके द्वारा दौड़ीकृष्ण के गैरिकों पर विभाग हेतु उपयुक्त व होने के कारण प्रश्नगत विभाग हेतु वर्तीव
भूमि स्थानान्तरण की कार्यवाही किये जाने ने सम्भवतः भूमियों का संग्रह द्वारा हो रहा है जिसके कारण उक्त दौड़ीकृष्ण
विभाग कर्त्ता के अपदे विभागित समावाहि लक्ष्यों के अवृप्तप्रब्लेम न हो पर्वे की क्षमता सम्भविता है तथा ऐसी परिस्थितियों
में स्थानान्तरण विभाग दौड़ी द्वारा गी कार्य की लागत को पुरीरक्षित करने की विधि उपलब्ध हो सकती है, जबकि
शाहजहां दौड़ी राज्य विभाग ने चुका है कि उपरोक्त कार्य के सिवे विभाग ने सोहू धर्षदाति पुरीरक्षित तरी की बायेगी।

अतः उपरोक्त परिस्थितियों के दौड़ीकृष्ण अपेक्षा है कि, प्रश्नगत विभाग के विभाग हेतु पूर्ण दौड़ीकृष्ण भूमि
को स्थानिक कर्त्ता द्वारा इसके एवज में स्थान जांचोली एवं जांचाली के नाम अवृप्तप्रब्लेम विभागतया विभिन्न राज्य भूमि
अवृप्तप्रब्लेम उपलब्ध न हो तो वह भूमियों वार्ष व वर्ष जीव अवृप्तप्रब्लेमों शे मुक्त हो। चाहीं विभाग
हुये वर्षावधि भूमि के नामांशासार, जांचोली आदि अभिलेख प्रायोगिकता के आधार पर इस कार्यालय के द्वारा ग्राम प्रभागीय
विभागिता, लद्दाख्यान एवं प्रगांग, स्थानान्तरण को भी उपलब्ध नहरने का लक्ष्य करें।

पुलिस अधीकार,
लद्दाख्यान।

प्रतिलिपि: जिलाधिकारी, स्थानान्तरण को उल्ल सम्बन्ध में कृपया तृच्छार्थ १३ इस अवधारणे के साथ कि अपने स्थान
में सम्बन्धित को प्रायोगिकता के आधार पर उत्तानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु विटोरिएट करने
का कष्ट हो।

2. प्रश्नालीय विभागिकारी स्थानान्तरण विभाग परमाणुक के नुस्खा सहित, वर्ष प्रायोगिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन
के पत्र संख्या: ५४/७-१-२०१६-८००(४२४)/२०१३ दिनांकित: ०३.०५.२०१३ के अनुसार इस विभागिता के द्वारा
के द्वारा प्रेषित कि प्रश्नगत विभागिता के विभाग हेतु दब भूमि विभिन्न किये जाने की विधि में
उपजिलाधिकारी स्थान पर नहिं उपरोक्ति से भूमि का ग्राम्यता विभाग विभागिता के आधार पर करने
हुये प्रश्नालय तैयार किये जाने हेतु आवश्यक अभिलेख इस कार्यालय के उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में
भी विटोरिएट करने का कष्ट हो।

प्रतिलिपि: मूल पर नहीं।

3. विभागिता लद्दाख्यान के इस विभाग के शाख कि ज्ञात सम्बन्ध में उपजिलाधिकारी जांचोली से सम्पर्क कर
उपलब्ध भूमि का दबन लए वर्षावधि भूमि का संयुक्त विभागिता किये जाने की कार्यवाही करने हुये
आवश्यक अभिलेख ग्राम के शीर्ष प्रायोगिकता के आधार पर इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाना
तुलिष्यत हो।

4. प्रभागीय विभागिता पुलिस दौड़ी माझे की गण्डी(जांचाली) को उत्तानुसार आवश्यक अनुण्ठनवार्थ।

प्रायोगिक कार्यालय
दुष्प्रभाव विभाग के सदर प्रधान
क्रमांक १३२८८
दिनांक १५-७-२०१४

कार्यालय जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग।

संख्या- ३९१० / बीरा- ५६ (2013-14) दिनांक जुलाई १५ 2014.

उप जिलाधिकारी,

जखोली।

जनपद रुद्रप्रयाग में रिपोर्टिंग पुलिस चौकी माई की मधी एवं प्रस्तावित अग्निशमन केन्द्र जखोली भवन निर्माण हेतु कुल ०.६००हेठो भूमि गृह विभाग, उत्तराखण्ड शहरसन को निःशुल्क हस्तान्तरित करने के संबंध में।

उपरोक्त विषयक अपने पत्रांक- २१६/२०का० २०१४-१५ दिनांक ०२-०७-२०१४ का अवलोकन करें।

आपने उक्त पत्र में उल्लेख किया है कि ग्राम मयाली के ज०विरहित लातीनी खाता सं०- ३५ के खरारा नं० ४०४७ रक्ता ०.६२७हेठो मध्ये ०.६००हेठो भूमि जनपद रुद्रप्रयाग में रिपोर्टिंग पुलिस चौकी गाई की मधी एवं प्रस्तावित अग्निशमन केन्द्र जखोली के भवन निर्माण हेतु कुल ०.६००हेठो भूमि प्रस्तावित कर विभाग को निःशुल्क हस्तान्तरण की रवीकृति प्रदान की गई, किन्तु उक्त प्रस्तावित भूमि मौके पर अत्यधिक ढलान वाली एवं भूस्थलन वाली भूमि है, जिस पर भवन निर्माण किया जाना उपयुक्त नहीं है।

जिलाधिकारी पहोचय द्वारा उक्त भूमि के बदले अन्यत्र राज्य सरकार की भूमि और इसकी अनुपलब्धता में वन भूमि का प्रस्ताव हेतु वर शीघ्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गए हैं।

अतएव प्रस्तावित भूमि का खासा नवशा अन्य बांधित अग्निलेख तैयार करवाकर शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

अपर जिलाधिकारी,

रुद्रप्रयाग।

प्रतिलिपि पुलिस अधीक्षक, रुद्रप्रयाग को रूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

long
अपर जिलाधिकारी,

रुद्रप्रयाग।

H.C.
for N.M.
A.C. १५

R.D.

S.P.R.D.
16-7-14

प्रेषक,

पुलिस अधीकार,
लब्धवाद सद्प्रयास।

सेवा में,

उपजिलाधिकारी,
जाती है।

दर्शक: भ-15/2005

दिनांक: जुलाई १९, २०१४

विषय: दिए गए पुलिस गैरों गाई की गाड़ी एवं प्रत्यापित अधिकारी के बीच विमाण हेतु भूमि हत्ताकरण के सम्बन्ध ने।

उद्देश्य: इस कार्यालय के समर्थनकारी पर दिनांक: ०५-०७-२०१४ एवं अपर जिलाधिकारी, लद्धप्रधान के पत्र संख्या: ३९१०/२०-५६(२०१३-१४), दिनांक: १५-०७-२०१४ के संदर्भ में।

कार्यालय उपर्युक्त प्रधानकार्यालय कराने का काढ़ करें जिसके द्वारा दिए गए पुलिस चौकी माई की माई की गाड़ी एवं प्रत्यापित अधिकारी के बीच विमाण हेतु खात्र भूमि में पूर्ण स्थीरता ०.६०० हेतु भूमि के जौके पर विमाण हेतु उपयुक्त न होने तथा विकल्प के तौर पर राज्य सरकार की आद्य भूमि ही अनुग्रहित कर प्राथमिकता के आधार पर विकित भूमि के बदलावला एवं अन्य अधिकारी उपलब्ध कराने जाने की अपेक्षा की गयी है।

अद्यगत कराना है कि प्रश्नगत परियोजना के विमाण हेतु भूमि की अनुग्रहित होने तथा आधारक तंत्र से उपयुक्त प्रधानकार्यालय के विमाण हेतु भूमि की अद्य भूमि के बाहर के काष्ठ परियोजना के विमाण हेतु अनुग्रहित विलय हो रहा है, जिसके कारण छोटीसुन्दर परियोजना के समय से निर्माण पूर्ण न होने की दशा में खींचून लाभ के पुनर्विकास किये जाने सभी सम्भावना से इन्हें लाभ नहीं किया जा सकता है।

उल्लेखनीय है कि विभिन्न सरकारी/प्रायोजनाओं के विमाण हेतु वह भूमि हत्ताकरण की प्रक्रिया एक बड़ी प्रक्रिया है, यदि उक्त परियोजना के विमाण हेतु वह भूमि विनियोग कर हत्ताकरण की कार्यवाही की जाती है तो इसने जटीवीं तरफ समय घटात हो सकता है।

अतः उपरोक्त परियोजनाओं से दृष्टिकोण अद्यका है कि प्रश्नगत परियोजना के विमाण हेतु पूर्ण उद्दीक्षा भूमि को सार्वजनिक कराने हुवे इसके एज जे लेखन जाती है एवं अद्याली के जब्त अद्य आस-पास उथमतया विविल राज्य भूमि अद्य तिविल राज्य भूमि की विभास परिवर्तित हो जाने से व्यून उपलब्धता भी ज होने तो ऐसी परिवर्तियों में वह भूमि/विविल राज्य भूमि की जाती है। विविल करने हुए वहांने भूमि के गवाहालाला, आतीनी आदि अधिकारी प्राथमिकता के आधार पर इस कार्यालय के साथ-साथ प्रभागीय विविलकारी, लद्धप्रधान द्वारा प्राप्त, लद्धप्रधान को भूमि उपलब्ध कराने का काढ़ करें।

भा० १९/२

पुलिस अधीकार,
लद्धप्रधान।

प्रतिलिपि: जिलाधिकारी, लद्धप्रधान ने उक्त उपलब्ध में कृपया सूचनार्थी एवं इह अनुरोध के साथ कि आपने खट से भूमि सम्बन्धित को प्राथमिकता के आधार पर उत्तानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु विविल करने का काढ़ करें।

२ उभागीय वर्तमिली लद्धप्रधान वह प्रभाग के भूमि विभाग, उत्तानुसार शासन के पत्र संख्या: ५४/७-१-२०१२-८००(२२४३)/२०१३ दिनांकित: ०३.०९.२०१३ के द्वारा गैर इस अनुरोध के साथ दीर्घते कि प्रश्नगत परियोजना के विमाण हेतु वह भूमि विविल किये जाने की विविल में उचिताधिकारी राज्य पर गवाह अधिसंगठित से भूमि का संयुक्त विविल प्राथमिकता के आधार पर कराने हुवे प्रत्याक्षर तैयार किये जाने हेतु आवश्यक अधिकारी इस जागीलय को उपलब्ध कराने जाने के सम्बन्ध में भी विविल करने का काढ़ करें।

प्रतिलिपि भूल पर वही।

१. लेत्रधिकारी लद्धप्रधान के इस विविल के साथ कि उक्त उपलब्ध में उपजिलाधिकारी जाती है रामर्था कर उपयुक्त भूमि का उपयोग कर विविल भूमि का संयुक्त विविल किये जाने हेतु कार्यवाही कराने हुवे आकाशक अधिकारी प्राप्त कर शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाना मुनिविल करें।

२. प्रभागे दिए गए पुलिस बौकी माई की माई/विविली को इस विविल के साथ कि प्रश्नगत परियोजना के विमाण हेतु ३० लाली विविल गवाह भूमि अद्य विविल गवाह भूमि उपलब्ध ज होने की दशा में वह भूमि विविल किये जाने के सम्बन्धित राज्य भूमि के साथ उत्तीर्ण आदि अधिकारी दिनांक: ०५.०७.२०१४ तक प्रत्येक दशा में इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

परियोजना का नाम – रिपोर्टिंग पुलिस चौकी माई की मढ़ी के निर्माण हेतु स्थान
जखोली में जाखणी-6 अ मध्य 0.26 है 0 वन भूमि हस्तान्तरण विषयक।

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि पुलिस विभाग की रिपोर्टिंग पुलिस चौकी माई की मढ़ी के निर्माण हेतु तहसील जखोली (गवाली) रामान्तरगत उपयुक्त/प्रयाप्त राज्य सरकार की भूमि/सिविल वेनाप/नाप भूमि चयन का भरपूर प्रयास किया गया किन्तु उक्त क्षेत्रान्तर कोई प्रयाप्त/उपयुक्त सरकारी/सिविल/वेनाप/नाप भूमि उपलब्ध न होने के कारण प्रस्तावित परियोजना की महत्ता/आवश्यकता को देखते हुये स्थान जखोली के जाखणी-6 अ के मध्य 0.26 है 0 वन भूमि सम्बन्धित विभाग को हस्तान्तरण हेतु चिह्नित की गयी है।


पटवारी
जखोली
1/2 एकड़ीपारा


तहसीलदार^{संभालपुर जिला}
जखोली
कानपुर उपराज्यकारी


उपजिलाधिकारी
जखोली
कानपुर उपराज्यकारी


किलाधिकारी
जनपद हस्तान्तरण।